COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

Satyanarayan Sheohare ***A.B.P. No. 540/2026***

District & Addl. Sessions Judge 1st cum Special judge Sc.St., Jamui. Pg. 1/2

Md. Almas Parveen Vs. State of Bihar

25.05.2026

परिवाद पत्र संख्या–1933सी/2018, जो भा0द0वि0 की धारा 323, 504, 420 से संबंधित है, के आवेदक अभियुक्त **अलमास प्रवीण** उम्र करीब 40 वर्ष पिता मो0 तनवीर रजा, निवासी ग्राम–लोहरा, थाना व जिला–जमुई की ओर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से यह है कि परिवादी मो0 आयुब खॉ वर्तमान में सरकारी नौकरी के कारण धनबाद में रहते है। घटना दिनांक 25.11.2015 एवं 23.11.2018 की है। दिनांक–25.11.2015 को परिवादी जब अपने पठान चौक, जमुई वाले घर में आया तो अभियुक्त मो0 बसीर खॉ, मो0 जाकीर खॉ, मो0 शौकत खॉ, मो0 सगीर, मो0 सलाउद्धीन, एवं **अलमास प्रवीण** ने उसे धमकी देने लगे कि ''तुम यहां क्यों आते हो। तुम्हारा जमीन को हम लोग हड़प लेंगे, ज्यादा करोगे तो जान मार देंगे क्योंकि हमारे पास आपराधिक किस्म का व्यक्ति रहते हैं।'' परिवाद पत्र में आगे कथन किया गया है कि दिनांक–19.04.2017 को जमीन संबंधी एक सन्हा उसने (परिवादिनी ने) अनुमंडल दंडाधिकारी, जमुई को दिया था। परिवाद पत्र (Complaint) में आगे कथन किया गया है कि उसकी जमीन जिसका खाता 1, खेसरा 76, रकवा 5.1/6 डिसमिल उक्त जमीन उसकी मॉ बीबी फातिमा खातून जौजे मो0 इदरिस खॉ मरहुम के नाम से क्रय की है, जिसका दस्तावेज सं0 7188 है। उसी संदर्भ में दूसरा केवाला हुरो खॉ ने उसकी मॉ मो0 बीबी फातिमा खातून को निष्पादित किया था, जिसका केवाला सं0–7189 है तथा इदरिस खॉ मरहुम की पत्नी बीबी फातिमा खातुन अपनी जिंदगी में ही उन्होंने 5.1/6 डिसमिल जमीन अपने अपने हिस्सा कर दखलकर चला आ रही थी। वह मो0 अयूब खॉ बीबी फातमा के बड़े पुत्र होने के कारण देखभाल और दखल कब्जा में उक्त जमीन चला आ रहा है। उस जमीन का रसीद वर्ष 1994 से 2015 तक उसके माता पिता के ना रहने पर उसके नाम कटता रहा। किन्तु अभियुक्तों ने यह जमीन बेच दी एवं उसकी जमाबंदी तोड़वा दी। उसने इसकी शिकायत की तो उसके साथ मारपीट किया।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उस पर दबाव डालने एवं तंग तबाह करने के लिए यह झूठा मुकदमा किया गया है। यह मामला आपराधिक परिवाद पर आधारित है। परिवाद पत्र से ही विदित होता है कि मामला भूमि विवाद से संबंधित है।

जांच साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष है। सह–अभियुक्तों को अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1755/2023 द्वारा विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम ने अग्रिम जमानत प्रदान की है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मामला आपराधिक परिवाद पर आधारित हैं। परिवाद पत्र से ही स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य भूमि विवाद हैं। सह अभियुक्तों को अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा कथित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभू समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः–न्यायालय, विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।